

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2431

दिनांक- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गुलाब चन्द , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), कोटा से संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कोटा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुलाब चन्द द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गुलाब चन्द तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गुलाब चन्द नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गुलाब चन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2431

दिनांक- 09-02-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), कोटा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कोटा ।
- 3 श्री गुलाब चन्द , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), कोटा ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

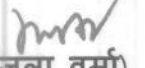
दिनांक: 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्रीमति अल्का मीणा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अलवर से कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमति अल्का मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्रीमति अल्का मीणा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्रीमति अल्का मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमति अल्का मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्रीमति अल्का मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अलवर
- 2 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।
- 3 श्रीमति अल्का मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अलवर।


(अरविन्द धीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुभाष मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण **खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी .चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग . झाड़ोल से उप कोषाधिकारी .कोष एवं लेखा विभाग . झाड़ोल** में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुभाष मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुभाष मीणा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुभाष मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुभाष मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी .चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग . झाड़ोल।
- 2 उप कोषाधिकारी .कोष एवं लेखा विभाग . झाड़ोल।
- 3 श्री सुभाष मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय **खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी .चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग . झाड़ोल।**

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/ 2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अशोक उपाध्याय सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश विधि विभाग, अलवर से कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक उपाध्याय द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अशोक उपाध्याय को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अशोक उपाध्याय को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अशोक उपाध्याय नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अशोक उपाध्याय को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/ 2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, अलवर
- 2 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।
- 3 श्रीमति अशोक उपाध्याय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, अलवर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अशोक कुमार गोयल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर से उप कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अशोक कुमार गोयल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अशोक कुमार गोयल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अशोक कुमार गोयल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अशोक कुमार गोयल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
- 2 उप कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।
- 3 श्री अशोक कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

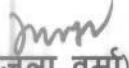
दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गोपाल बंसल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर)समेकित बाल विकास सेवाएं अलवर से कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोपाल बंसल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री गोपाल बंसल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गोपाल बंसल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गोपाल बंसल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गोपाल बंसल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर)समेकित बाल विकास सेवाएं , अलवर
- 2 कोषाधिकारी,कोष एवं लेखा विभाग,अलवर।
- 3 श्री गोपाल बंसल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर)समेकित बाल विकास सेवाएं , अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

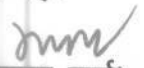
दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री तुलसी दास अरोड़ा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग अलवर से खनि. अभियन्ता, खनिज विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तुलसी दास अरोड़ा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री तुलसी दास अरोड़ा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री तुलसी दास अरोड़ा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तुलसी दास अरोड़ा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री तुलसी दास अरोड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 09-02-18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
- 2 खनि. अभियन्ता, खनिज विभाग, अलवर।
- 3 श्री तुलसी दास अरोड़ा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग अलवर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नरेश कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, अलवर से बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), समेकित बाल विकास सेवाएं, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरेश कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नरेश कुमार को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नरेश कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नरेश कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नरेश कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक:- 09-02-18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), समेकित बाल विकास सेवाएं, अलवर।
- 3 श्री नरेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री दिलीप कुमार जैन , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर से विकास अधिकारी . पंचायत समिति , बडगांव , उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दिलीप कुमार जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री दिलीप कुमार जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री दिलीप कुमार जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री दिलीप कुमार जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री दिलीप कुमार जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (ग्रामीण) , कोष एवं लेखा विभाग , उदयपुर।

2 विकास अधिकारी , पंचायत समिति , बडगांव , उदयपुर।

3 श्री दिलीप कुमार जैन , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग , उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नरेश कुमार पटवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), उदयपुर से कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरेश कुमार पटवा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नरेश कुमार पटवा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नरेश कुमार पटवा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नरेश कुमार पटवा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नरेश कुमार पटवा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), उदयपुर।

2 कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर।

3 श्री नरेश कुमार पटवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री माधव दास वासवानी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण अध्यक्ष . जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच .खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग .उदयपुर से विकास अधिकारी . पंचायत समिति .गिरवा . उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री माधव दास वासवानी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री माधव दास वासवानी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री माधव दास वासवानी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री माधव दास वासवानी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री माधव दास वासवानी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

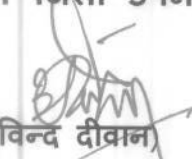

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 अध्यक्ष. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच .खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग .उदयपुर।
- 2 विकास अधिकारी . पंचायत समिति .गिरवा . उदयपुर ।
- 3 श्री माधव दास वासवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय अध्यक्ष . जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच .खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग .उदयपुर ।


(अरविन्द दीखान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रतन लाल भांबी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर से कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रतन लाल भांबी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रतन लाल भांबी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रतन लाल भांबी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रतन लाल भांबी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रतन लाल भांबी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर।

2 कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर।

3 श्री रतन लाल भांबी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजीव सिन्दल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .बड़गांव से सचिव .नगर विकास न्यास (एक्स काडर) .उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजीव सिन्दल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राजीव सिन्दल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजीव सिन्दल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजीव सिन्दल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजीव सिन्दल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .बड़गांव।
- 2 सचिव .नगर विकास न्यास (एक्स काडर) .उदयपुर।
- 3 श्री राजीव सिन्दल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .बड़गांव।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

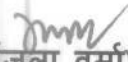
दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण प्राचार्य . आर एन टी मेडीकल कॉलेज .चिकित्सा शिक्षा विभाग .उदयपुर से कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश कुमार मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राजेश कुमार मीणा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजेश कुमार मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजेश कुमार मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 प्राचार्य . आर एन टी मेडीकल कॉलेज .चिकित्सा शिक्षा विभाग .उदयपुर।
- 2 कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर।
- 3 श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय प्राचार्य . आर एन टी मेडीकल कॉलेज .चिकित्सा शिक्षा विभाग .उदयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लक्ष्मी चन्द सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .गिर्वा से जिला कलक्टर .राजस्व विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लक्ष्मी चन्द सोनी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री लक्ष्मी चन्द सोनी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री लक्ष्मी चन्द सोनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री लक्ष्मी चन्द सोनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मी चन्द सोनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1 विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .गिर्वा।

2 जिला कलक्टर .राजस्व विभाग .उदयपुर।

3 श्री लक्ष्मी चन्द सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी . पंचायत समिति .पंचायती राज विभाग .गिर्वा।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विनय व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर से प्राचार्य . आर एन टी मेडीकल कॉलेज .चिकित्सा शिक्षा विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विनय व्यास द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री विनय व्यास को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विनय व्यास को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विनय व्यास नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विनय व्यास को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर।
- 2 प्राचार्य . आर एन टी मेडीकल कॉलेज .चिकित्सा शिक्षा विभाग .उदयपुर।
- 3 श्री विनय व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कामिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री संजय अरोडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर से आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संजय अरोडा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री संजय अरोडा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री संजय अरोडा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संजय अरोडा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संजय अरोडा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 09-02-18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर।

2 आयुक्त .जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग .उदयपुर।

3 श्री संजय अरोडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर) .कोष एवं लेखा विभाग .उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:-09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री वीना सुवाल्का, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कमाण्डेन्ट . गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र .गृह विभाग .उदयपुर से आयुक्त .आबकारी विभाग .उदयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीना सुवाल्का द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री वीना सुवाल्का को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री वीना सुवाल्का को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री वीना सुवाल्का नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री वीना सुवाल्का को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1 कमाण्डेन्ट . गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र .गृह विभाग .उदयपुर।

2 आयुक्त .आबकारी विभाग .उदयपुर।

3 श्री वीना सुवाल्का, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कमाण्डेन्ट . गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र .गृह विभाग .उदयपुर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)